न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या ~~46/2022~~ 173\2022

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. भारूराम पुत्र भुराराम उम्र 50 वर्ष
2. मानाराम पुत्र वगताराम उम्र 50 वर्ष
3. भुराराम पुत्र जालाराम उम्र 85 वर्ष
4. वगताराम पुत्र जालाराम उम्र 82 वर्ष

जातियान जाट निवासी जैरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चिमनाराम पुत्र जीयाराम उम्र 75 वर्ष
2. गिरधारीराम पुत्र जीयाराम उम्र 80 वर्ष
3. भीखीदेवी पत्नि हुकमाराम उम्र 40 वर्ष
4. भोमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 20 वर्ष
5. माडूदेवी पत्नि पूनमाराम उम्र 70 वर्ष
6. गोकलाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 27 वर्ष
7. भुराराम पुत्र हिन्दूराम उम्र 60 वर्ष
8. मेहराराम दत्तक पुत्र भीयाराम उम्र 55 वर्ष
9. कंवराराम पुत्र हडूमानराम उम्र 30 वर्ष
10. नेनाराम पुत्र हडूमानराम उम्र 40 वर्ष
11. फरसाराम पुत्र हडूमानराम उम्र 38 वर्ष
12. पारूदेवी पत्नि वेहनाराम उम्र 50 वर्ष
13. वनाराम पुत्र दलाराम उम्र 48 वर्ष
14. रावताराम पुत्र वेहनाराम उम्र 30 वर्ष
15. रामाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 28 वर्ष
16. कंसुम्बी पत्नि लिखमाराम उम्र 77 वर्ष
17. खेताराम पुत्र लिखमाराम उम्र 55 वर्ष
18. भेराराम पुत्र लिखमाराम उम्र 45 वर्ष
19. मानाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 48 वर्ष
20. [illegible] उम्र 50 वर्ष
21. [illegible] पत्नि [illegible] उम्र 70 वर्ष
22. [illegible] जोगाराम उम्र 35 वर्ष
23. ठाकराराम [illegible] जोगाराम उम्र 32 वर्ष
24. मोतीराम पुत्र जोगाराम उम्र 30 वर्ष
25. हीराराम पुत्र जोगाराम उम्र 28 वर्ष
26. बीजाराम पुत्र जोगाराम उम्र 25 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. लेहरो पुत्री जोगाराम उम्र 23 वर्ष
28. पालू पुत्री जोगाराम उम्र 20 वर्ष
जातियान जाट निवासी जैरूपोणियों का
तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
29. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 29 के पैरोकार उपस्थित व शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 18.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 28 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है।इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

5.लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल होडू मौजा जैरूपोणियो का तला के खेत खसरा संख्या 713 रकबा 3.6648 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 639/2 रकबा 4.1421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 711/3 रकबा 1.3591 हैक्टेयर व खसरा संख्या 724/2 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18-10-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested